राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

मामला क्रमांकः– 202509032100015/अ–62/2025–26
ग्रामः–सांको तहसील फरसाबहार

19.11.2025

–आवेदक श्री दशराम साय पिता जयबीर साय जाति कंवर निवासी ग्राम सांको तह. तपकरा जिला जशपुर, (छ.ग.) द्वारा ग्राम सांको प.ह.नं. 12 में स्थित आवेदक के सामिलात भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 77 रकबा 0.214 हे. भूमि में 02 नग सागौन है जिसे काटे जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र बी–1 एवं अन्य सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आरंभ किया गया है।

–प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण पर हल्का पटवारी/वनरक्षक ग्राम तपकरा से संयुक्त मौका/अभिलेख जांच पंचनामा प्रतिवेदन मंगाया गया।

–हल्का पटवारी/परिक्षेत्र सहायक तपकरा के प्रतिवेदनानुसार आवेदक दशराम साय पिता जयबीर साय निवासी सांको तहसील फरसाबहार जिला जशपुर छ0ग0 के द्वारा आवेदक के भूमि स्वामी हक में स्थित भूमि ख0नं0 77 रकबा 0.216 हे. भूमि में पूर्व में कृषि के रूप में रोपित वृक्ष कटाई के संबंध वन परिक्षत्र सहायक लवाकेरा एवं हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 01.11.2025 को जॉच किया गया। जॉच में सागौन पेड़ 02 नग आवेदित भूमि के खसरा क्र0 77 रकबा 0.216 हे. में स्थित है परन्तु जहा सागौन के 02 नग वृक्ष है उस जगह पर आवेदक घर बनाना चाह रहा है एवं ग्रामीण सामुदायिक भवन बनाना चाहते है जिस कारण ग्रामीण में विरोध कर रहे है कि वृक्ष काटने नही देगे क्योकि 02 नग सागौन वक्ष अन्य व्यक्ति द्वारा लगाया बताया गया और उक्त पेड़ काटने में अन्य ग्रामीण का विरोध है साथ ही पटवारी द्वारा दिनांक 01.11.2025 को सीमाकंन कर बताया गया कि उक्त भूमि आवेदक की है उसके पश्चात् भी ग्रामीण उक्त भूमि को शासकीय घास मद की भूमि बता रहे है। इस प्रकार भूमि विवादित पाया गया । आवेदित वृक्ष का विवरण निम्नुनसार हैः–

क्र.	प्रजाति	नग	गोलाई (से.मी. में)	लंबाई(मी. में)
1	सागौन	02	00	00

–अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में संलग्न आवेदक का आवेदन, अभिलेखों, हल्का पटवारी/वन परिक्षेत्राधिकारी तपकरा के प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। आवेदक के द्वारा निर्धारित प्ररूप–घ (नियम 4(1) देखिए) कृषि के रूप में रोपित वृक्षो को काटने के पूर्व हेतु सूचना पत्र में आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। वृक्षों की प्रविष्टिया राजस्व अभिलेखों में इंद्राज नही है। वृक्षो के कटाई के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटर नगर के छत्तीसगढ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 4–34/सात–1/2021 दिनांक 11 फरवारी 2022 में उल्लेखित नियम 8 के अनुसार छत्तीसगढ वन उपज अधिनियम 1969 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए अस्थायी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षो की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर कर सकेगा। वृक्ष कटाई की सूचना के साथ राजस्व अभिलेख एवं स्वघोषणा पत्र ''घ'' देना होगा।

भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं स्वघोषणा पत्र का दस्तावेजों एवं भौतिक सत्यापन उपरांत ही आवश्यक कार्यवाही संभव है चूंकि वृक्षो की प्रविष्टियॉ राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत नही है। अतः आवेदक द्वारा स्वघोषण पत्र नही दिया गया है।

– अतः दस्तावेजों साक्ष्यों के अभाव के आधार पर आवेदक के आवेदन को खारित किया जाता है। आवेदक संसूचित हो। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही। प्रकरण नस्ती कर अभिलेख कोष्ठ भेजें।

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
फरसाबहार, जिला जशपुर,(छ.ग.)